

बिरसा मुंडा





बिरसा मुंडा

संकलित

सुरुचि प्रकाशन

केशव कुंज, झण्डेवाला, नई दिल्ली-110055

बिरसा मुंडा

प्राचीन काल से भारत की पुण्यभूमि पर अनेक महापुरुष, ऋषि-मुनि, समाज सुधारक, वैज्ञानिक, क्रांतिकारी, वीर सम्राट व योद्धा अवतरित हुये हैं, जिन्होंने अपने जप-तप, शौर्य, कुशल नेतृत्व व आदर्श कृत्यों से जन समाज को प्रेरित कर उनका मार्गदर्शन किया। ऐसे ही एक देशप्रेमी वनवासी थे - बिरसा मुंडा।

जन्म व आरम्भिक जीवन

दक्षिण बिहार का क्षेत्र छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर में रहने वाली एक प्रमुख जाति मुंडा कहलाती है। इसी क्षेत्र के एक छोटे से गाँव उन्निहात में 15 नवम्बर, 1875 को सुगना मुंडा व करमी मुंडा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार को जन्म होने के कारण उसका नाम बिरसा रखा गया। बिरसा के जन्म के कुछ दिनों बाद मुंडा दम्पति उन्निहात गाँव छोड़कर आमूगानु गाँव चले गये।

बिरसा बचपन से ही बहुत होनहार बालक था। वह अपनी बाँसुरी लेकर मित्रों के साथ भेड़-बकरियाँ चराने जंगल को निकल जाता और दिनभर अपनी मधुर बाँसुरी बजाकर सभी का मन मोह

लेता था। उसे चित्रकारी करने का भी बहुत शौक था। और कुछ नहीं मिला तो वह भूमि पर ही चित्र बनाने लगता था। इस कला में शीघ्र ही वह प्रवीण हो गया। इस कारण लोग कहने लगे कि मुंडाओं में परंपरागत भविष्यवाणी हो रही है कि “मुंडाओं के घर में एक भगवान जन्मेगा, जैसा भगवान् नंद के घर जन्मा था। वह अपनी बाँसुरी से मुंडाओं को लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। काला रंग धारण कर जिस भगवान् ने आना था, वही यह बालक है।”

आमूगानु गाँव के जयपाल नाग अपना विद्यालय चलाते थे। बिरसा की प्रारम्भिक शिक्षा उसी स्कूल में हुई। जयपाल बिरसा की प्रतिभा व परिश्रम से बहुत प्रभावित हुए। इसलिये उन्होंने उसे जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ने की सलाह दी। परन्तु इस स्कूल में केवल ईसाई बच्चे प्रवेश पा सकते थे। अतः बिरसा के परिवार ने चाईबासा जाकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। धर्मांतरण कराने वाले पादरी ने बिरसा का नाम बिरसा डेविड रख दिया। उसके कुछ मित्र उसे बिरसा दाऊद भी बुलाने लगे। 1886 में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर बिरसा ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा के लिये जर्मन स्कूल में प्रवेश ले लिया।

भारतीय दर्शन व संस्कृति में रुचि

कुछ समय बाद बिरसा खुंटी चाईनामा गाँव के प्रसिद्ध वैष्णव भक्त श्री आनन्द पांडे के सम्पर्क में आया। इससे बिरसा की रुचि भारतीय दर्शन व संस्कृति में बढ़ने लगी। उसमें हिन्दुत्व के रहस्यों-तत्वों को जानने की उत्सुकता जगी। उसने भारतीय ग्रन्थ-वेद, रामायण, महाभारत, हितोपदेश, गीता आदि का अध्ययन किया।

निर्भीक व्यक्तित्व

रविवार का दिन था। चाईबासा मिशन में लोग प्रार्थना के लिए जमा हुए थे। फादर नोट्रो ईश्वर के राज्य के विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने भूतखेत, पहनाई आदि मुंडा गाँवों के पास जंगल को मिशन के हाथ सौंपने की बात की। वहाँ उपस्थित मुंडा लोगों ने इस पर आपत्ति की। तब नोट्रो क्रोधित हो गया और मुंडाओं को ठग, बेईमान व चोर कहने लगा। फादर नोट्रो द्वारा अपनी जाति के प्रति अपमानजनक शब्द सुनकर वहाँ उपस्थित चौदह वर्षीय बिरसा का खून खौल उठा। वह खड़ा होकर फादर से पूछने लगा, “आप किसे ठग, बेईमान, चोर कह रहे हैं? हम वनवासियों ने आज तक किसी को नहीं ठगा है। जो कुछ पाया है, उसका पैसा चुकाया है। मुंडाओं जैसे सरल लोग आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेंगे। आप लोग गोरी चमड़ी वाले हो और शासक भी गोरे हैं, इसलिये आप उनका पक्ष लेते हो?”

बिरसा की इस प्रतिक्रिया के बाद उसे तुरन्त मिशनरी स्कूल से निकाल दिया गया।

मुंडाओं का पूर्व वृत्तांत

वनवासी समाज सदियों से देश के जंगलों में बसता है। वे एक प्रकार से वन संरक्षक हैं। देश में विभिन्न राज्य थे, उनका भिन्न प्रकार का रहन-सहन था, लेकिन ‘हम भारतमाता की संतान हैं तथा एक ही संस्कृति के अनुयायी हैं’ - उनमें यह भाव जागृत था। उस समय मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों से एक-एक कर अनेक

राजाओं को अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। इससे समाज को एकता के सूत्र में बाँध कर रखने वाली व्यवस्था ध्वस्त हुई और धीरे-धीरे ये बंधन लुप्त हो गये।

वनों में उचित स्थान देखकर मुंडा परिवार वहीं बसने लगे। मुंडाओं का जीवन अत्यंत चुनौतीपूर्ण था - आज यहाँ तो कल वहाँ। जीवनयापन एक समस्या थी। जंगल काटकर उन्होंने खेती योग्य भूमि तैयार की। वहाँ विशेष पर्व पर बोंगाओं की तुष्टि के लिये बलि दी जाती थी। गाँव के मुखिया को 'मुंडा' और ऐसे कुछ गाँवों के समूह के मुखिया को 'मानकी' कहते थे। मुंडा अपने गाँव का जमींदार होता था। उसकी सम्मति के बिना गाँव का कोई काम नहीं होता था। मुंडाओं के अनेक 'किल्ली' या गोत्र थे।

अधिकार पर आक्रमण

जब तक मुंडा समुदाय अपने वनों तक सीमित था, उनका जीवन सरल, सादा व सुखी था। परन्तु मुंडा सरदार जब बिहार तथा मध्य प्रदेश के राजसी परिवारों के साथ सामाजिक संबंध बनाने लगे तो वे उनके राजसी वैभव के प्रति आकर्षित हुए। राज पुरोहितों व अधिकारियों को देने के लिये मुंडा सरदारों के पास पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए वे उनके नाम गाँवों की जमीन या कुछ गाँव लिख देते थे। इसका दुष्परिणाम यह होता था कि वे वहाँ जाकर ग्रामवासियों को निकालकर उनकी सम्पत्ति पर अपना अधिकार प्रस्थापित करते अथवा उनका शोषण कर उन्हें जीवनभर अपनी गुलामी करने पर बाध्य करते।

जब अंग्रेजों ने इस देश की सत्ता पर बलात रूप से अधिकार

जमाया तो स्थिति और अधिक भयावह होने लगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात् अंग्रेज यह समझ गये थे कि इस देश पर शासन करने में उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ के लोगों में उनके प्रति आक्रोश व उससे जनित सामाजिक व राजनैतिक एकता। इस एकता को तोड़ने के लिये उन्होंने भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का निश्चय किया यानी 'फूट डालो, राज करो' का मूल मन्त्र। छोटे राजाओं को उन्होंने लगान वसूली के अधिकार दिये तथा लगान की राशि के अनुसार उनके कमीशन निश्चित किये गये। इस प्रकार प्रजा का शोषण होने लगा। मुंडाओं को बलपूर्वक असम के चाय बागानों में कुली का काम करने पर विवश किया गया। अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाये जिनके अंतर्गत वनवासियों के परंपरागत अधिकार छीन लिये गये। जंगल सरकार की सम्पत्ति हो गये। जंगलों को काट कर वहाँ अंग्रेजों की छावनियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यापारी बसाये गये।

धीरे-धीरे अंग्रेजी भाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ने लगा। कानून व अन्य विषय अंग्रेजी भाषा में लिखे गये जो आज भी विद्यमान हैं। मुंडाओं को अपनी भाषा मुंडारी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा का ज्ञान नहीं था। अंग्रेजों और उनके देशी अफसरों को मुंडा समाज की भाषा, समाज व्यवस्था व परम्पराओं आदि का ज्ञान नहीं था। दुभाषिये इसका लाभ उठाकर मुंडाओं का शोषण करने लगे। इससे मुंडाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गयी। उनमें अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश व संघर्ष की भावना प्रबल होने लगी।

मिशनरियों का प्रवेश

1857 के स्वातंत्र्य युद्ध के बाद यूरोप से रोमन कैथॉलिक मिशन और जर्मन लुथेरियन चर्च के मिशनरियों का एक छोटा दल नागपुर आया। उन्होंने भूखे लोगों को खाना खिलाना, विद्यालय चलाना, चिकित्सा के लिये दवाखाना - ऐसे सामाजिक कार्य प्रारम्भ किये। सेवा की आड़ में ईसाई धर्म का प्रसार उनका मुख्य उद्देश्य था। धीरे-धीरे वनवासी विवश होकर ईसाई बनने लगे। स्कूल में पढ़ने के लिये ईसाई नाम और घर लौटने के बाद वास्तविक नाम - यह सिलसिला भी चला। वनवासियों को आश्वासन दिया गया कि यदि वे ईसाई मत अपनाएंगे तो उनकी जमीन व अन्य अधिकार वापस दिये जायेंगे। मिशनरियों से आश्वासन मिलने के बाद मुंडा समाज के मुखिया ईसाइयत अपनाने हेतु सभाएँ करने लगे व अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए आन्दोलन करने लगे। वास्तव में अंग्रेज शासक वनवासियों को उनके अधिकार या जमीन लौटाना नहीं चाहते थे।

धोखेबाज़ ईसाई मिशनरी व धूर्त अंग्रेजी शासक

मुंडाओं के साथ यह बहुत बड़ा धोखा था। भोलेभाले वनवासी अब मिशनरियों से इसका सीधा जवाब माँगने लगे। जिस गाँव के मुंडा ईसाई बन जाते तो मिशन उस गाँव के 'सरना' (प्रार्थना स्थल) की माँग करने लगता। मिशन के स्कूलों में छात्रों को वनवासी परम्पराओं को विकृत व असम्य बताकर उनके प्रति घृणा उत्पन्न की जाती। अपने परम्परागत अधिकार लौटाने के लिये मुंडा सरदारों ने

संगठित होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष प्रारम्भ किया। कुटिल अंग्रेज सरकार मुंडाओं को झूठे मुकदमों में फँसाकर कड़ी सजाएँ देने लगी। यह दमनचक्र पूरी गति से चलने लगा। इन सभी घटनाओं ने बिरसा के अन्तःकरण को झकझोर कर रख दिया।

धर्मसुधारक - आंदोलन और सेवा

प्रारम्भिक जीवन से ही बिरसा की धर्म व अध्यात्म में रुचि थी। 'मैं कौन हूँ? यह संसार क्या है? धर्म क्या है?' वे ऐसे प्रश्नों का समाधान ढूँढने लगे। चार वर्षों की कठोर साधना के पश्चात् जब बिरसा पुनः प्रकट हुये तो उनका परिवेश पूरी तरह से परिवर्तित था - एक हिन्दू योगी की तरह पीली धोती, खड़ाऊँ, माथे पर तिलक तथा यज्ञोपवीत धारण किये हुये वे अपने साथियों को भी वैसा करने के लिए प्रेरित करते थे। इस चिंतन-मंथन के परिणामस्वरूप बिरसा के मन में विचार आया कि उनके अपने परम्परागत मुंडा धर्म में भी स्वच्छता और जीर्णोद्धार की आवश्यकता है।

सिंगबोंगा याने विधाता मुंडाओं के मुख्य देवता थे तथा रोग, दुर्भाग्य, दुर्घटना आदि के निवारण हेतु बनिता बोंगा, नसार बोंगा, बुरु बोंगा, धारयी बोंगा, मनिता बोंगा, इफिर बोंगा जैसे भाग्यदेवता थे। उन्हें शांत व तुष्ट करने के लिए बलि चढ़ायी जाती थी। लोग कर्मकांड, कुरीतियों व रूढ़ियों को ही धर्म मान लेते थे। बिरसा ने अपने धर्म को इन सब विकृतियों से मुक्त कर एक संशोधित रूप देने का निश्चय किया।

वे ईसाई धर्म में धर्मान्तरित लोगों को समझाने लगे कि ईसाई

धर्म हमें अपने पूर्वजों की श्रेष्ठ परम्परा से विमुख करेगा। इसे अपनाकर हम अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कृति व अपने गुरुओं, पूर्वजों की श्रेष्ठ शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। हमें अंग्रेजों से अपने वन क्षेत्रों पर अधिकार वापस लेना है। यदि हमें अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करना है और फिर से वनों का सुखमय व स्वच्छंद जीवन जीना है तो हमें अपनी संस्कृति के आधार पर अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा। यह सारा तत्वज्ञान वनवासी बंधुओं की समझ में आये, इसके लिये उन्होंने उनकी भाषा में पढ़ाना प्रारम्भ किया। उन्होंने लोगों को तुलसी की पूजा करने, गाय की हत्या न करने, रामायण, महाभारत, हितोपदेश, गीता का नित्यपाठ करने, मांसाहार छोड़ने व शुद्ध, सात्विक जीवन जीने के लिये प्रेरित किया।

चमत्कारी बिरसा

एक बार चालकंद में भारी वर्षा में बिरसा अपने एक साथी के साथ जंगल से जा रहे थे। उसी समय बिजली कड़की और बिरसा पर गिरी लेकिन बिरसा को कोई आँच नहीं आई। उनके साथी ने गाँव पहुँच कर सभी को यह अद्भुत प्रसंग बताया जिसे सुनकर वनवासी स्तब्ध रह गये। अब बिरसा स्वयं भी कहने लगे - "मैं भगवान हूँ। मैं इस धरती का 'आबा' याने पिता हूँ। विदेशियों के अत्याचारों से पीड़ित इस देश की धरती को मैं फिर से सम्मानित करूँगा। इसी कार्य में आपको प्रवृत्त करने के लिये मैं आया हूँ, मेरे साथ चलो।"

सरदारी लड़ाई में योगदान

धीरे-धीरे बिरसा की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। असंख्य लोग

अब बिरसा को सुनने चालकंद आने लगे। इसे देखकर अंग्रेज प्रशासन चिंतित होने लगा कि कहीं धर्म के नाम पर लोगों की एकता उनके विरुद्ध किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन में न बदल जाये। आसपास के गाँवों से हजारों मुंडा शस्त्रास्त्र और भोजन सामग्री के साथ वहाँ रहने लगे। बिरसा अपने अनुयायियों को कहते थे - 'अबुआ राज हारे जना ओरो महारानी राज टन्डू जना' अर्थात् 'अपना शासन आ गया है और अंग्रेज सरकार यदि गोली चलायेगी तो गोलियाँ पानी में बदल जायेंगी।' उसने वनवासियों को सरकार व जमींदारों को लगान देने से मना किया क्योंकि जमीन पर उनका मौलिक अधिकार है। लोग बिरसा द्वारा बताये नियमों पर चलने लगे। उन्होंने मांसाहार व गोहत्या को त्याग दिया एवं हिन्दू जीवन के आदर्श अपनाने लगे, जैसे—तुलसी की पूजा, रामायण का पाठ, दीपक जलाकर पूजा-अर्चना करना आदि। बिरसा के प्रेरक प्रवचनों से वनवासियों में नया उत्साह व स्वाभिमान जागा। बिरसा के विलक्षण देशप्रेम को देख कर वनवासी उसे भगवान् की तरह मानने लगे। बिरसा के अनुयायियों को 'बिरसाइत' कहा जाता था। उधर अंग्रेज सरकार ने षड्यंत्र रचकर बिरसा को 2 वर्ष के लिये जेल में डाल दिया। इससे उनके अनुयायियों में भारी रोष फैल गया और वे संगठित होने लगे।

हजारीबाग में कारावास

मिशनरियों ने भयभीत होकर अंग्रेजी शासन को वनवासियों के विरुद्ध लिखना शुरू कर दिया। मुंडाओं ने धीरे-धीरे जमींदार व ठेकेदारों के सामने झुकना छोड़ दिया। अब वे उनके दरबार में नहीं जाते थे। असंख्य धर्मांतरित मुंडा ईसाई मत से अलग होकर बिरसाइतों

(बिरसा के अनुयायी) का साथ देने लगे। अब कोई मुंडा कुली बनकर असम के चाय बागानों में काम नहीं करना चाहता था। इस बीच दो वर्षों का सक्षम कारावास का दण्ड भुगत कर बिरसा जेल से बाहर आ गये। उन्होंने अपना काम जारी रखा।

शासन ने पुनः षड्यंत्र रचा। उन्होंने जमींदारों से मिल कर बिरसा को पागल घोषित कर उसे वनवासियों से अलग-थलग करने का प्रयास किया। बिरसा को बंदी बनाने के लिये एक पुलिस अधिकारी मीअर्स अपने दलबल सहित चालकद पहुँचा। बिरसा को इसकी जानकारी मिल चुकी थी। बिरसा के निवास को बिरसाइतों ने चारों ओर से घेर रखा था। चालकद में इन पुलिस वालों को एक कमरे में बंद किया गया। बिरसा के आदेशानुसार इन्हें अतिथि की तरह रखा गया। तीन दिन तक प्रतीक्षा के बाद भी पुलिस बिरसा को बंदी नहीं बना सकी और वापस लौट गयी। बनगाँव लौटकर इन्स्पेक्टर मीअर्स ने रांची से मिलिटरी पुलिस का विशेष दल बुलाया तथा लास्टी और जगमोहन सिंह जमींदार को साथ में लेकर वह फिर से चालकद पहुँचा। रात्रि में ही घर में घुसकर बिरसा को बंदी बनाकर बनगाँव ले जाया गया।

बिरसा ने स्वयं लोगों को शांति बनाये रखने के लिये कहा और उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही उनके बीच लौटेंगे। बिरसा की गिरफ्तारी के कारण तमाड, खुंटी, बनगाँव सहित सारे प्रदेश में असंतोष फैल गया। जगमोहन सिंह और रेव्हरंड लास्टी को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। बनगाँव में, जहाँ बिरसा को रखा था, वनवासी बड़ी संख्या में पहुँचने लगे। उन्होंने पुलिस थाने को घेर लिया और

शांतिपूर्वक बैठे रहे। उनकी माँग थी कि वे अपने भगवान् को देखना चाहते हैं।

इंस्पेक्टर ने लोगों से पूछा, “वह कैसा भगवान् है जो जेल में बन्द हो।” लोगों ने कहा, “वह अपनी इच्छा से बंद है, वह जब तक बंदी हैं, हम लोग उपवास पर रहेंगे। उनके दर्शन के बिना हमारा उपवास नहीं टूटेगा।” पुलिस ने लोगों को भगाने के लिए लाठीचार्ज किया। अनेक वनवासियों को कारागृह में डाल दिया गया। इंस्पेक्टर मीअर्स ने उसे पागल ठहरा कर बंदी बनाने का षड्यन्त्र रचा था। जब डॉ. रोजर्स जेल में बिरसा से मिले तो उसका स्वाभिमान देखकर उन्होंने बिरसा को पागल घोषित करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने लिखा कि “स्वयं को भगवान् घोषित करने से किसी को पागल नहीं कहा जा सकता। विशेषतः ऐसी न्याय व्यवस्था जो केवल अंधी ही नहीं, गूंगी और बहरी भी है, के विरुद्ध बिरसा का क्षोभ उचित है। इसलिये मैं बिरसा को न तो दोषी मानता हूँ और न पागल। मुंडा यदि उसे भगवान् मानते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।”

अब बिरसा को बनगाँव से खुंटी ले जाया गया। वहाँ भी मुंडा लोग पहुँच गये और तनाव का वातावरण बन गया। सेना बुलाकर फिर उसे रांची ले जाया गया जहाँ पर जज कालीकृष्ण मुखर्जी की अदालत में मुकदमा चला। उन्होंने सभी लोगों को निर्दोष घोषित कर मुक्त कर दिया। तब अंग्रेज शासन ने जस्टिस मुखर्जी का तबादला कर दिया। फिर अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के सामने मुकदमा चला और मुंडाओं को शासन के विरुद्ध भड़काने के आरोप में बिरसा को

19 नवम्बर, 1895 को दो साल के सश्रम कारावास पर हजारीबाग जेल में भेज दिया गया।

उल गुलान! उल गुलान!!

उल गुलान याने 'विद्रोह का संकल्प' और इसके कार्यान्वयन की योजना बिरसा के मन में संभवतः हजारीबाग कारागार के दो वर्षों में साकार हुई। 30 नवम्बर, 1897 को जेल से छूटने के बाद बिरसा चालकंद आये। रांची का कमिश्नर स्वयं बिरसा से मिला तथा उससे आश्वासन माँगा कि अब वे वनवासियों को उपद्रव नहीं करने देंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया जायेगा। बिरसा ने कहा - "मैंने उपद्रव न पहले किया था, न अब करूँगा। परन्तु लोगों के सामने सत्य रखने का प्रयास मैं करता रहूँगा।"

बिरसा पर बदले की भावना से की गयी सरकारी कार्रवाई का परिणाम यह हुआ कि कुछ मुंडा लोग भयभीत होकर मिशनरियों की शरण में जाकर फिर से ईसाई बनने लगे। शासकों को लगा कि बिरसा का प्रभाव अब समाप्त हो गया है। लेकिन बिरसा ने लोगों को संगठित करने व उनमें जागृति लाने का लक्ष्य कभी नहीं छोड़ा।

उधर अब बिरसा संकेत देने लगा कि 'मैं केवल थोड़े समय के लिये ही तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम लोग स्वयं जान लो कि बाहर से आकर कोई तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। आपको अपने लिये स्वयं लड़ना होगा। निर्धारित नियमों पर विवेक के साथ चलोगे तो सफल होवोगे। अब घर केवल तुम्हारा घर नहीं है। यह सामाजिक संघर्ष का

एक-एक दुर्ग है। शस्त्रसंग्रह करो। तलवारें बनाओ। तीर कमान बनाओ। मुंडा के घर में किसी गैर-मुंडा का प्रवेश वर्जित होगा। वहाँ सारा शस्त्रागार भरा रहेगा। अपने छोटे-छोटे गुट व समूह बना कर उनके नायक नियुक्त करो।’

बिरसा ने कुछ नियम निर्धारित किये जिन्हें ‘बिरसायत के नियम’ कहा जाने लगा। बिरसा के पुराने अनुयायियों को ‘प्रचारक’ कहा जाता था। उन्हें सभी योजनाओं की जानकारी होती थी। विभिन्न योजनाओं का नेतृत्व व संचालन भी इन प्रचारकों पर ही होता था। इनके घर पर बिरसाइतों की बैठकें होती थी। जो साथी घर गृहस्थी वाले थे वे विचरण नहीं करते थे, वे ‘पुराणक’ कहलाते थे। इन पर शस्त्रास्त्र संग्रह, युद्ध शिक्षण का दायित्व होता था। एकदम नये लोगों को ‘नानक’ कहते थे। नानकों का कार्य था - लोगों को प्रेरित करना, शस्त्रास्त्रों, निशानेबाजी का प्रशिक्षण देना, संयमित जीवन जीने के लिये अभ्यासवर्ग चलाना आदि।

यह सारा कार्य पूरी सावधानी व गोपनीयता के साथ चलने लगा। संगठन और अनुशासन का भी विशेष ध्यान रखा गया। अंग्रेज अफसरों व पादरियों को इसका कुछ आभास तो मिला था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में क्या हो रहा है यह इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। बिरसा कहीं दिखता नहीं था, परन्तु अलग-अलग स्थानों पर उसके होने की बात चलती रहती थी। उसने मुंडाओं के पूर्वजों की स्मृति जगाने के उद्देश्य से पवित्र स्थानों की यात्रा की। मुंडाओं की पुरानी राजधानी नवरतनगढ़ से मिट्टी और पानी लाया गया। चुटिया के मंदिर से तुलसी के पौधे लाये गये। जगन्नाथपुर के मंदिर से चंदन

लाया गया। डोमबारी पहाड़ को मुख्यालय बनाया गया। यह पहाड़ सैलरकाब, केरामोरा, बिचा बुरु, तिरिलकुटी बुरु ऐसे कई ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह स्थान साल, तेंद, बेहड़ा, इमली, पलाश, सीधा, शीशम, कुसुम, सेमल जैसे वृक्षों से भरा हुआ है। जंगल एकदम निर्जन, घना व दुर्गम था। वहाँ केवल बाघ, भालू, चीते, भेड़िये जैसे पशुओं का ही वास था। डोमबारी शैल शृंखला के जंगलों के अंदर कुछ आवास बनाये गये तथा वहाँ पर्याप्त भोजन सामग्री व शस्त्र आदि रखे गये।

‘उलगुलान’ का मुहूर्त निश्चित हुआ 24 दिसम्बर 1899 के दिन। उस दिन पहला आक्रमण अपेक्षित था। इसका एक मात्र लक्ष्य गोरे लोगों को आतंकित करना था। 24 दिसम्बर की रात को रांची से चाईबासा तक के 400 वर्गमीटर के विस्तृत क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकियों, ईसाई मिशनों व गोरे अफसरों के क्लबों पर रात्रि में तीरों की ताबड़तोड़ बौछार हुई। कहीं भी प्रतिकार नहीं हो सका क्योंकि यह प्रहार बहुत तीव्र और सुनियोजित था। सभी अपने-अपने घरों में बंद हो गये थे। बड़े-बड़े अधिकारी घर के अंदर बैठे रहे क्योंकि बाहर बाणवर्षा की चपेट में आने का भय था। सुबह हुई। फौज बाहर निकली और हमलावरों को खोजने लगी। एक भी आदमी हाथ नहीं लगा। हमलावर कौन थे? कहाँ से आये थे? कहाँ चले गये? कुछ भी पता नहीं चला। बिरसा ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया था।

रांची में 3-4 दिन कर्फ्यू जैसी स्थिति रही। सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाने और रांची जिले के खूटी, कर्रा, तोरपा, तमाड और

बसिया थानों के अंतर्गत विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगी। खूंटी का क्षेत्र इस आंदोलन का केन्द्र था। मिरहु मिशन के स्कूल पर तीर चलाये गये जहाँ लास्टी था, लेकिन वह बच गया। लास्टी चालकदं में बिरसा की गिरफ्तारी के समय इन्स्पेक्टर मीअर्स के साथ था।

सरबदा ईसाई मिशन में रात में गोदाम जला दिया गया। गाँव में भी कुछ घर जलाये गये। फादर हाफमन और उनके दो साथी तीर लगने से घायल हो गये। ओडाहाट, कुन्दुगुडू, बुडगु आदि गाँवों में भी मिशन पर हमले हुए। बिरसा के अनुयायियों का नारा था “हेन्दे राम्बडा रे केच्चे केच्चे, पुण्ड्रा राम्बडा रे केच्चे केच्चे” यानी ‘काले ईसाइयों को काट दो, गोरे ईसाइयों को काट दो।’

फिर खूंटी पुलिस थाने पर तीर कमान व कुल्हाड़ी लिये लोगों ने हमला किया। थाने में 20 सिपाही बंदूकों के साथ उपस्थित थे। लेकिन वे सभी भाग गये। दो लोगों की मृत्यु हुई। थाने को जला दिया गया। खूंटी की घटना के बाद अंग्रेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। मुट्ठी भर वनवासियों ने बीस बंदूकधारी सिपाहियों को कैसे परास्त किया? इसका अर्थ यह है कि पूरा वनवासी क्षेत्र बिरसा का साथ दे रहा है। हजारीबाग और कलकता से सेना बुलाई गई। युद्ध प्रारम्भ हुआ। वनवासियों के पास बंदूकें नहीं थीं, केवल पारंपरिक शस्त्र थे।

गया मुंडा : उलगुलान का प्रथम हुतात्मा

खूंटी पुलिस थाने पर आक्रमण का नेतृत्व बिरसा के प्रमुख साथी गया मुंडा ने किया था जो एटकाछीह गाँव का निवासी था।

खूँटी थाना जला देने के बाद डिप्टी कमिश्नर एंडरसन के नेतृत्व में कुछ सैनिक वहाँ पहुँचे। तनाव की स्थिति के कारण गाँव के अन्य मुंडा कोमबारी चले गये। गया मुंडा गाँव में अकेला अपने परिवार के साथ रह गया था। उसकी झोपड़ी को चारों ओर से घेर कर सैनिक गोली चलाने लगे। अंदर गया मुंडा, उसके दो बेटे और पत्नी थी। दो कुल्हाड़ी और दो तलवारों के साथ पूरा परिवार कई घंटों तक बंदूकधारी सिपाहियों के साथ लड़ता रहा। झोपड़ी के पास जाने का साहस सैनिकों में नहीं था। अन्त में उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी। बाहर निकल रहे गया मुंडा को सैनिकों ने गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी व बेटों को बंदी बनाया गया। इस प्रकार गया मुंडा को 'उलगुलान' आन्दोलन का प्रथम हुतात्मा होने का गौरव प्राप्त हुआ।

डोम्बारी पहाड़ का संग्राम

8 जनवरी, 1899 का दिन। 300 फुट ऊँचे सपाट डोम्बारी पहाड़ के आसपास के जंगल में बिरसा के आह्वान पर हजारों मुंडा सशस्त्र तैनात थे। बिरसा ने 'बीरदाह' (पवित्र जल) छिड़क कर उन्हें दीक्षा दी थी। डोम्बारी पहाड़ का परिसर सुरक्षित था। बिरसा ने मुंडाओं से कहा कि 'अब हम दुश्मन की गोलियों से नहीं डरेंगे। मरना ही है तो सीना तानकर मरेंगे, सिर झुकाकर नहीं।' जब अंग्रेजों को यह समाचार मिला कि डोम्बारी पहाड़ पर मुंडा इकट्ठा हुए हैं तो उनकी सेना ने पहाड़ को चारों ओर से घेर लिया। कमिश्नर फॉर्बर्स, डिप्टी कमिश्नर स्ट्रॉटफील्ड और कैप्टन रॉश इस सैन्य दल का नेतृत्व कर रहे थे।

डोम्बारी पहाड़ पर चढ़ने का मार्ग बहुत दुर्गम था। इसलिये वहाँ पर सेना दो दिन घेरा डालकर बैठी रही। सामने के पहाड़ पर मुंडा थे। वे पहाड़ के सपाट मैदान पर खड़े थे। उनके पास एक भी बंदूक नहीं थी। बीचोंबीच भगवा रंग की पताका हाथ में लेकर बिरसा खड़ा था। सेना के पास पर्याप्त गोलाबारूद और शस्त्र थे। स्ट्रॉटफील्ड ने मुंडाओं को समर्पण करने का आवाहन किया।

तब नरसिंह मुंडा नाम के सरदार ने जो सामने की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, चिल्लाकर पूछा, “किसको समर्पण के लिये कह रहे हो? जो आक्रमणकारी हैं, वे समर्पण करेंगे। हम लोग यहाँ के निवासी हैं। तुम लोग बाहर से आये हो। धिक्कार है तुम पर।”

वहाँ चार हजार लोग सीना ताने खड़े थे। उनमें तीरकमान लेकर युद्ध करने वाली महिलायें भी थीं। गुलेल से पत्थर मारने वाले बच्चे भी थे। अब सैनिकों ने गोलीबारी प्रारम्भ की। बिरसा ने अपने लोगों से कहा – “घबराओ मत, शत्रु की गोलियाँ पानी बन जायेंगी।” कोई मुण्डा भागा नहीं। कुछ साथी बिरसा को उठाकर घने जंगल में ले गये। वे किसी भी स्थिति में बिरसा का जीवन बचाना चाहते थे। भयंकर गोलीबारी में बच्चे, महिलायें, बड़े सभी मरने लगे। कहते हैं सैलरकब पहाड़ की मिट्टी में आज भी उनके रक्त की गंध आती है। डोम्बारी पहाड़ पर पूरी तरह हरियाली है व ऊँचे-ऊँचे वृक्ष हैं। वनवासी कहते हैं कि एक एक वृक्ष के नीचे पाँच-पाँच मुंडाओं की हड्डियों का उर्वरक है। इस संग्राम में अनेक मुंडा मारे गये। सरकार ने केवल सात मुंडाओं के मारे जाने की सूचना दी, परन्तु इस जघन्य

काँड में घंटों तक गोली चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग हताहत हुये। जबकि कोलकाता के 'स्टेट्समैन' समाचार पत्र में केवल चार सौ मुंडाओं की मृत्यु की खबर प्रकाशित हुई।

बिरसा की गिरफ्तारी और हत्या

डोम्बारी की इस भयानक घटना के बाद भी बिरसा ने अपना कार्य रोका नहीं। शासन लगातार उन्हें बंदी बनाने की चेष्टा कर रहा था। बिरसा को पकड़वाने पर शासन ने पाँच सौ रुपया इनाम देने की घोषणा की। निर्धन वनवासियों के लिये वह बहुत बड़ा प्रलोभन था। परन्तु किसी ने भी विश्वासघात नहीं किया। शासन ने बिरसा के चार सौ साथियों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया परन्तु वे बिरसा को नहीं पकड़ सके। बिरसा की खोज में पुलिस गाँवों में जाकर लोगों से मारपीट करती थी। उनके गाँव उजाड़ दिये गये। अन्ततः जंगल में विश्राम कर रहे बिरसा को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे रांची के कारागार में डाल दिया गया।

चार महीने तक शासन यह निश्चित नहीं कर सका कि उस पर क्या आरोप लगाकर अभियोग चलाये। फिर कोलकाता से एक प्रसिद्ध बैरिस्टर जेकब वनवासी बंदियों का मुकादमा लड़ने आ गये। प्रमाण के अभाव में सभी निर्दोष छूटेंगे, यह शासन को स्पष्ट दिखाई देने लगा। बिना किसी आरोप के चार सौ लोगों को जेल में रखा गया था। जेल की स्थिति इतनी खराब थी कि सत्रह लोगों ने जेल में ही दम तोड़ दिया।

बिरसा को जंजीरों में जकड़कर अकेले रखा गया था। उन्हें

भयंकर यातनाएँ दी गयीं। परन्तु वे बिरसा का मनोबल नहीं तोड़ सके। अंत में, 9 जून 1900 की सुबह उन्हें खून की उलटी हुई और उनका निधन हो गया। मृत्यु का कारण 'एशियाटिक हैजा' बताया गया परन्तु यह स्पष्ट था कि बिरसा को बंदीगृह में विष देकर मारा गया था।

देशप्रेमी व देवतुल्य बिरसा का कार्य

बिरसा की मृत्यु के बाद अंग्रेजी शासन ने छोटा नागपुर में भूमि सुधार कानून लागू किया जिसके अंतर्गत वनवासी क्षेत्र का नियंत्रक कलेक्टर को बनाया गया तथा उसकी देखरेख में वनवासी क्षेत्र में भूमि की लेनदेन होने लगी। इससे वनवासी जातियों को कुछ राहत मिली। जमींदार और ठेकेदारों पर अंकुश लगा। बिरसा द्वारा दिये गये प्रेरक उद्बोधनों से मुंडाओं का जीवन प्रभावित हुआ। उन्होंने शिक्षा, सेवा, क्रीड़ा, विज्ञान, राजनीति तथा अनेक सामाजिक कार्यों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

बिरसा का देव रूप में अवतरण होना हमारी संस्कृति की प्राचीन परम्परा से सुसंगत है। उन्होंने अपने मात्र पचीस वर्ष के अल्पजीवन में अपने स्वाभिमान, साहस व मातृभूमि के प्रति श्रद्धा द्वारा वनवासियों में जो प्रेरणा जगायी उसकी झलक हमें जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, छत्रपति शिवाजी, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के चरित्र में देखने को मिलती है।

जिस विदेशी शासन के दमन के विरुद्ध भारतीयों ने प्रतिशोध किया था, उसी स्वतंत्रता समर की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में

बिरसा का चरित्र देखा जा सकता है। बिरसा ने प्राचीन भारतीय धर्म, विधि-विधान आदि के मानकों को आत्मसात करते हुये मुंडा समाज व्यवस्था को सुधारने हेतु भारतीय संस्कृति व दर्शन के प्रतीकों को ही आदर्श माना। तुलसी पूजा, गोहत्या कर रोक, तिलक लगाना, स्वच्छता - शुद्धता रखना - यह सभी उसी के उदाहरण थे। उन्होंने ईसाई मिशन के पादरियों की धूर्तता और दोगलेपन से भी समाज को अवगत कराया कि विदेशी लोग हमारी भलाई का कितना भी स्वाँग रचें, परन्तु उनका मूल उद्देश्य हमारा शोषण करना ही है।

लगभग सवा सौ वर्ष के बाद भी आज बिरसा द्वारा निर्देशित मार्ग उतना ही सार्थक है, जितना उन दिनों में था। जब तक हम अपने व्यवहार, विचार व आचरण में स्वदेशी और स्वाभिमानी नहीं बनेंगे, हमारा उत्कर्ष असंभव है। इसलिये सभी प्रकार के विदेशी प्रभावों व प्रलोभनों से मुक्त होना और समाज को मुक्त करना ही क्रांतिवीर व स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के प्रति सच्ची 'श्रद्धांजलि' होगी।

